आज का विचार

जीव मात्र के कल्याण की भावना हमारे संस्कार में है लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि किसी की जान पर बन आये तो मानव की रक्षा पहली प्राथमिकता होगी न कि पशु की।

(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक **लोकजीवन**

आवारा पशुओं पर सख्ती ...

आवारा जानवरों की पैरवी करने वाले खुद को पशु प्रेमी साबित कर जाने क्या साबित करना चाहते है। घर में एक गाय भी नहीं रखने वाले गौ भक्त बन रहे है तो कुत्तों के प्रति सहानुभूति रखने वाले किसी कुत्ते को पालने को तैयार नहीं।इन मानव दुश्मनों को यह पता नहीं कि इंसान की जिन्दगी जानवर से कई ज्यादा कीमती है इन्हें पता नहीं कि छोटे बच्चे, महिलाएं और रात में मजदूरी करने जाते-आते मजदूरों पर हो रहे आवारा कुत्तों, गायों बैलों के हो रहे हमले कितने घातक है। कुत्ता काटने पर कितने दर्द भरे इंजेक्शन लगवाने के बाद भी जरूरी नहीं कि लोग बच जाये। रेबीज से लोगों की जाने जा रही है तो कुछ पागल तक होते रहे है। औसतम सवा दस हजार लोग प्रतिदिन कुत्तों के हमले के शिकार हो रहे है। पशु प्रेमी महज अखबारों में नाम छपवाने और लोगों को भ्रमित कर धोखा देने का ही काम कर रहे है। समाज व सरकार के सामने आज ये ही आवारा पशु चुनौती बनते जा रहे है। छोटे बच्चे और महिलाएं कुत्तों के हमले में सर्वाधिक पीड़ित है। आवारा पशु शहरी इलाकों में तो इतने खतरनाक सिद्ध हो रहे है कि उनकी वजह से आम रास्तों बाजारों में आवागमन बाधित रहता है । इनकी लड़ाई व हमले में लोग घायल हो रहे है। कईयों की मौत तक हो रही है इन्हें बचाने के चक्कर में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होकर कई लोगों की मौत के कारण बन जाते है लेकिन कथित पशु प्रेमी अपने को विशिष्ट मान बैठे है। जिन्हें अब अदालतों ने आइना दिखा दिया है राजस्थान हाईकोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक ने सख्त निर्देश जारी किये है।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक और रेबीज से लोगों की मौतों को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया कि सभी आवारा कुत्तों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटाकर 8 सप्ताह में शैल्टर में भेजा जाय। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया का विरोध करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों में भरोसा हो कि कुत्तों के डर के बिना कहीं भी आजाद होकर घूम सकते है किसी भी इलाकें में एक भी आवारा कुत्ता घूमता दिखाई नहीं देना चाहिए। चार घंटे में कुत्ते पकड़ने की कार्यवाही होनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों से ही रेबीज के टीके लगे। रेबीज वैक्सीन उपलब्धता की सूचना प्रकाशित हो। इधर राजस्थान हाई कोर्ट ने कुत्तों सहित आवारा पशुओं को लेकर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं के कारण नागरिकों को परेशानी और खतरा बढ़ रहा है। साथ ही पर्यटन को भी नुकसान पहुंच रहा है आवारा पशु हटाने के लिए नगर निगमों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य विभागों को विशेष्ज्ञ अभियान चलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जनता से अपील की कि पशुओं को खाना खिलाने या उनकी सेवा के लिए नगर निगमों या निजी संगठनों की ओर से संचालित आश्रम स्थलों या गौशालाओं में जाये। राष्ट्रीय और राज्य मार्ग प्राधिकरण सड़कों से आवारा पशु हटाने के लिए नियमित गश्त करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते राज्य सरकार व स्थानीय निकाय विशेष अभियान चलाकर आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए स्थाई प्रबंध करें ताकि प्रक्रिया नियमित जारी रह सके।

कड़वी घूंट -सूरज

तो इन्हें अपने घर ले जाये ...

कुछ लोगों की धारा के विपरित चलने की आदत ही बन जाती है यदि कहीं अवसर नहीं मिलता दिखे तो पशु प्रेम उमड़ने लगता है क्योंकि यह सर्वर्था सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। लोगों की सेवा में चूक या बेईमानी हो तो जल्दी ही उजागर हो जाती है क्योंकि वे सच उगल देते है लेकिन पशुओं के नाम पर कुछ भी अच्छा बुरा करते रहिए शिकायत का मौका ही नहीं आएगा। वे तो मूक पशु है उन्हें आपकी परवाह भी नहीं।

विपरित इसके पशु प्रेमी होने का मतलब यह भी नहीं होता कि आप मानव जाति के ही दुश्मन बन जाओ। पशु तो पशु ही है कितना ही पालतु हो जाय फिर भी कब हिंसक और हमलावर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्योंकि हिंसक होना उसका स्वभाव है यदि काटे नहीं तो कुत्ता ही कैसा। आवारा पशुओं पर सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई तो राहत महसूस हुई।

हां फैसले पर प्रतिक्रियाये भी आने लगी है एक ने लिखा कि डियर स्ट्रीट डॉग लवर्स, अगर आप आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने से नाराज है तो प्लीज कुत्तों को घ्ज़क्र ले जाये और कुत्तों को एक प्यारा सा घर दें। आवारा कुत्तों को अपने घर की बासी रोटी खिलाने से आप पशु अधिकार कार्यकर्ता नहीं बन जाते। अब यह आप जानो कि देश में पिछले वर्षों में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बहुत बढ़ी है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को सख्त निर्देश जारी करने पर विवश होना पड़ा कि अब तो संभव जाईये।

वैश्य फेडरेशन जिला महिला संगठन ने निकाली तिरंगा रैली

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

वैश्य फेडरेशन जिला महिला संगठन द्वारा निजी फार्म हाउस पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संभागीय अध्यक्ष मधु जाजू जिला अध्यक्ष लीला राठी प्रदेश मंत्री कुसुम पोखरना के सानिध्य में हर घर तिरंगा फहराने के संदेश के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। सचिव सुमन अग्रवाल ने बताया सभी मेम्बर्स ने अपने आस पास के क्षेत्र में जाकर घर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का जिम्मा लिया।

साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। सभी मेम्बर्स ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए व देशभक्ति गीतों का आंनद लेते हुए स्वतन्त्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सुलोचना गर्ग,गुणमाला अग्रवाल, जतन हिंगड़, मंजू पोखरना, मधु लोढ़ा ,आभा मित्तल, अंजू शाह, कल्पना माहेश्वरी, वन्दना अग्रवाल, स्नेहलता पटवारी, शशि सिंगल ,मंजू नागौरी, शशि अजमेरा ,मधु काबरा ,सपना अग्रवाल, बनिता जैन, सीमा लोढ़ा आदि मेम्बर्स उपस्थित थे।

2.25 लाख रुपए की प्रतिकर राशि अदा करने के प्रदान किये आदेश

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के अन्तर्गत जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अवकाशागार में नियुक्त सदस्यगण की मीटिंग अध्यक्ष अभय जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्राधिकरण के सचिव अपर सेशन न्यायाधीश विशाल भार्गव ने बताया कि बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के लम्बित कुल 23 आवेदन पत्रों का कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में कुल 02 आवेदन पत्रों में प्रतिकर के रूप में कुल 02 लाख 25 हजार रूपये पीड़ित प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। बैठक में मुज्जफर चैधरी, न्यायाधीश मोटर दुर्घटना एवं दावा अधिकरण सं. 02, शंकर लाल मारू, पारिवारिक न्यायालय संख्या-01, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, नगेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजेश शर्मा, अध्यक्ष बार संघ, रघुनन्दन सिंह कानावत, राजकीय अभियोजक सम्मिलित थे।

तिरंगा भारतीय गौरव का सशक्त प्रतीक

बनेड़ा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत की पहचान और गौरव का एक सशक्त प्रतीक है। यह राष्ट्र के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी उद्देश्य के साथ राजकीय महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय से लेकर गोद ली गई बस्ती इंदिरा कॉलोनी, मानपुरा तक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य तथा कार्य म के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) कन्हैया लाल मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। कार्य म में प्राचार्य ने बताया कि हर घर तिरंगा एक अभियान है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के प्रतीक के रूप में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरु किया गया था।

नि:शुल्क आध्यात्मिक चिकित्सा शिविर कल से

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

शहर में शास्त्रीनगर स्थित श्री महाराजा अग्रसेन भवन में तीन दिवसीय नि:शुल्क आध्यात्मिक चिकित्सा शिविर का आयोजन 15 अगस्त से किया जाएगा। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले शिविर में ध्यान योगाचार्य,परा विज्ञान विशेषज्ञ अभिमन्यु द्वारा विशेष आध्यात्मिक चिकित्सा की जाएगी। इस शिविर का उद्देश्य बिना दवा केवल चेतना,ध्यान ओर दृष्टि के आशीर्वाद से असाध्य रोगों का समाधान एवं मन की गहराई में शांति का अनुभव कराना है। पूर्णत नि:शुल्क शिविर में असाध्य रोगों का बिना दवा के उपचार किया जाएगा। मानव सेवा के इस महासंगम में अधिक से अधिक संख्या में आकर दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

तंजीम मुस्लेमीन सेवा सोसायटी ने वितरित किये राष्ट्रीय ध्वज

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

तंजीम मुस्लेमीन सेवा सोसायटी के सचिव मुबारक हुसैन मुल्तानी ने बताया कि आज भोपाल पूरा रोड स्थित कार्यालय पर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के तहत तंजीम मुस्लेमीन सेवा सोसायटी ने राष्ट्रीय ध्वज वितरित किये कार्यक्रम में संरक्षक हाजी मुश्ताक शेख,हाजी मोहम्मद इकबाल डायर,जाकिर हुसैन शेख,उमर शरीफ शाह,सद्दाम हुसैन शेख,मोहम्मद जैद ने राष्ट्रीय ध्वज वितरित किये तंजीम के अध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख ने कहा कि स्वतन्त्रता दिवस धू धाम से मनाया जायेगा।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी (मसूदा) जिला ब्यावर

क्रमांक : राउमावि बाढी / मसूदा/सामान्य/नीलामी/2025-26/ विषेश-2 दिनांक 12/08/2025

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्थानीय विद्यालय में दिनांक 28/08/2025 को प्रात: 10 बजे विद्यालय परिसर में विद्यालय की पुरानी, नाकारा एवं अनुपयोगी सामग्री जिसमे प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा एवं कागज की उत्तर पुस्तिकाएं, पत्र, किताबें आदि सम्मिलित है की खुली नीलामी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमनुसार की जानी है। अत: इच्छुक फर्म जो GST रजिस्टर्ड है नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकती है।

पीईई प्रधानाचार्य
राउमावि बाड़ी (मसूदा)

RANJAN POLYSTERS LIMITED

Regd. Office: 11-12th K.M Stone, Chittorgarh Road, Guwardi, Bhilwara- 311001 (Rajasthan).
Email: ranjanpoly@gmail.com, Website: www.ranjanpolysters.com
CIN: L24302RJ1990PLC005560, Cell No. 9413356095

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rs. in Lacs, except as stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		Unaudited	Not subject to review/audit	
		30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025
1.	Total Income from Operations (Net)	2687.63	2312.71	8562.73
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	302.67	323.98	1097.40
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	302.67	323.98	1097.40
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	225.67	227.56	852.41
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	223.69	225.92	844.52
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	300.09	300.09	300.09
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year.			2454.05
8.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1.Basic	7.52	7.58	28.41
	2. Diluted	7.52	7.58	28.41

Notes:- 1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 13th August,2025. **2.** The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly ended Financial Results is available on the Stock Exchange website www.msei.inand on the company's website, www.ranjanpolysters.com.

By the order of the Board
sd/-
Mahesh Kumar Bhimsariya
Managing Director
DIN No. 00131930

Date: 13.08.2025
Place: Bhilwara